168 69 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जहां सी डी ए पैटर्न का अनुसरण किया गया है, उन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों के भत्तों की समीक्षा जैसे कि मकान किराया भत्ता, परिवहनभत्ता आदि में संशोधन

लोक उद्यम विभाग का तारीख 24 अक्तूबर, 1997 के समसंख्यक के कार्यालय ज्ञापन को देखिए, जिसमें सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पाचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के परिचालन के परिणामस्वरूप महंगाई भत्ता व नगर प्रतिकर भत्ता सहित सी डी ए पैटर्न में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा को सूचित किया था। इसमें यह उल्लिखित था कि अन्य भत्तों के पुनरीक्षण पर सरकारी आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

2. सरकार ने अब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सी डी ए पैटर्न कर्मचारियों के अन्य भत्ते अर्थात् मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, अर्जित छुट्टी भुनाना, छुट्टी यात्रा रियायत, प्रसूति/पैतृत्व छुट्टी आदि की नयी/संशोधित दरों को निम्नलिखित के अनुसार बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

(i) मकान किराया भत्ता

सी डी ए पैटर्न के सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों पर संशोधित दरों के अनुसार मकान किराया भत्ता 01.8.97 से लागू होगा बशर्ते कि वह उससे न्यूनतम हो जो वह संशोधन पूर्व प्राप्त कर रहे थे। विवरण परिशिष्ट–I में दिया गया है।

(ii) परिवहन भत्ता

परिवहन भत्ते की नयी दरें 1.8.97 से लागू होंगी। परिवहन भत्ता कर्मचारी द्वारा प्रयोग किए जा रहे परिवहन के विशिष्ट प्रकार को ध्यान में रखे बिना एक समान दर पर होगा जोकि वेतनमान पर आधारित होगा। विवरण परिशिष्ट–II में दिए गए हैं।

(iii) अर्जित छुट्टी

एच पी पी सी सिफारिशों के अनुसार सी डी ए पैटर्न कर्मचारियों को 300 दिन की संचित अर्जित छुट्टी का भी लाभ है, जिसमें से 150 दिन (50 प्रतिशत) भुनाने (छुट्टी के बदले नकद भुगतान) योग्य और 150 दिन (50 प्रतिशत) न भुनाने योग्य होंगे। यह 1.7.97 से लागू होगा (परिशिष्ट–III)

(iv) छुट्टी यात्रा रियायत

छुट्टी रियायत योजना के तहत यात्रा हेतु आदेश 01 अक्तूबर, 1997 से लागू होंगे। अधिकारियों द्वारा यात्रा की हकदारी परिशिष्ट–IV में दी गई है।

(V) प्रसूति छुट्टी में वृद्धि और पितृत्व छुट्टी की अनुमति: नियम 43(1) के अधीन प्रसूति छुट्टी की 90 दिनों की वर्तमान उच्चतम सीमा 135 दिनों तक बढ़ाई जाएगी। पुरूष कर्मचारी, यदि उसके दो जीवित बच्चे हैं (शिशु को मिलाकर) तो उसे भी अपनी पत्नी की प्रसूति के दौरान 15 दिनों की अवधि के लिए पितृत्व छुट्टी की मंजूरी दी जा सकती है। यह इस आदेश के जारी होने की तारीख से लागू होगा। विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–V देखें।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासकीय मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासकीय नियंत्रण के तहत उक्त जानकारी को सी डी ए पैटर्न में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की जानकारी एवं तुरंत कार्रवाई हेतु ध्यान में लाएं।

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का तारीख 3.10.97 **का कार्यालय ज्ञापन सं.** 2(30)/97–**स्था.**II **(बी) की प्रतिलिपि**

विषयः पाचवें वेतन आयोग की सिफारिशें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की मंजूरी से संबंधित सरकार का निर्णय।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त भत्तों के संबंध में पाचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप इस मंत्राालय की तारीख 30.9.1997 का संकल्प सं. 50(1)/**आईसी**/97 देखें, माननीय राष्ट्रपति को यह निर्णय लेते हुए प्रसन्नता है कि इस मंत्राालय का तारीख 27.11.65 का कार्यालय ज्ञापन सं एफ 2(37) स्था.II (बी)/64 समय–समय पर यथा संशोधित कर आशोधन करते हुए अब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता स्वीकार्य होगा।

मकान किराया भत्ता

नगरों/शहरों का वर्गीकरण	मकान किराये भत्ते की दरें
ए–1	आहरित वास्तविक मूल वेतन का 15%
ए बी–1 बी–2	आहरित वास्तविक मूल वेतन का 15%
सी	आहरित वास्तविक मूल वेतन का 7.5%
अवर्गीकृत	आहरित वास्तविक मूल वेतन का 5%

2. मकान किराए भत्ते के प्रयोजन से वर्गीकृत नगरों/शहरों जैसे ए–1, ए, बी–1, बी–2 और सी की सूची परिशिष्ट 1 (क) के साथ संलग्न है।

3. ऐसे नगर/शहर जिन्हें वर्तमान वर्गीकरण की तुलना में, उक्त उल्लिखित सूचियों में निम्न वर्गीकरण में रखा गया है, अगले आदेश जारी होने तक वर्तमान वर्गीकरण में ही बने रहेंगे तथा इसमें काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी तद्नुसार मकान किराया भत्ते की दरों को लेने के हकदार होंगे।

4. इस मंत्राालय का तारीख 14.05.1993 का कार्यालय ज्ञापन सं 2(2)/93–स्था.II (बी) के पैरा 2 और 3 में सूचीबद्ध इलाकों (लौकेलिटीज) में मकान किराया भत्ता देने संबंधी के विशेष आदेश यथावत लागू रहेंगे।

5. इन आदेशों के प्रयोजन के लिए वेतन वह वेतन होगा जो निर्धारित वेतनमान में आहरित किया गया होगा और जिसमें गतिरोध वेतन वृद्धियां और प्रैक्टिसबंदी भत्ता शामिल होगा। परंतु इसमें किसी अन्य प्रकार का/के वेतन जैसे विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन आदि शामिल नहीं होंगे। ऐसे कर्मचारियों के लिए जो वर्तमान वेतनमान को ही बनाए रखने का विकल्प देते है, उनके वेतन में संशोधन पूर्व वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त महंगाई भत्ता और अंतरिम सहातया शामिल होगी जोकि 1.1.96 को लागू आदेशों के अनुसार स्वीकार्य वेतन के लिए उपयुक्त होगी।

6. मकान किराया भत्ता प्रदान करने वाली अन्य सभी शर्तें वर्तमान के तहत लागू रहेंगी।

7. ये आदेश 1.8.1997 से लागू होंगे। 1.1.96 से 31.7.1997 तक की अवधि के लिए उपर्युक्त भत्ते, संशोधन–पूर्व वेतनमान में कल्पित वेतन पर वर्तमान दरों पर आहरित किए जाएंगे।

8. यह आदेश केन्द्र सरकार के सभी असैनिक (सिविलयन) कर्मचारियों पर लागू होंगे। यह आदेश उन असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जो रक्षा सेवा प्राक्कलन से वेतन पाते हैं। सशस्त्रा सेना के कार्मिक और रेलवे के कर्मचारियों के लिए क्रमशः मंत्राालय और रेल मंत्राालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

9. जहां तक कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का सवाल है उनके लिए यह आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाएंगे।

– – –

अनुबंध–1 (क)

ऐसे नगरों की सूची जहां केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता स्वीकार्य है

ए–1	ए	बी–1	बी–2	सी
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	आंध्रप्रदेश			
	हैदराबाद		**विशाखापत्तम (यूए), विजयवाड़ा (यूए)**	श्रीकाकुलम, विजियनग्राम अंकापल्ले, काकीनाड़ा, (यू.ए), राजहमुंद्री (यूए), नरसापुर, पालकोले, टडेपल्लीगुडम, तनुकु, एलूरू भीमावरम, गुडीवाड़ा, मछलीपट्टनम, बपतला, चिलकलूरपेट, नरसरौपेट, पोन्नूरू, तेनाली मंगलागिरी, आंगोले (यूए), चिराला (यू ए), गुडूर, कवाली, नेल्लूर मदनापल्लै, श्रीकेलाशशास्ती, तिरूपति (यूए), चितूर कुडप्पा (यूए), प्रोद्दयातुर, धर्मावरम, कदिरी, तड़पत्री, अनंतपुर, गुंतकल, हिंदुपुर येम्मिगनुर, कुर्नूल (यूए) अदोनी, नान्दयाल, महबूबनगर, सिद्धिपेठ बोधन, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, बेल्लामपल्लै, कागजनगर, मंचेरियाल, सीर्चिल्ला, करीमनरगर, रामगुंडम, पलवंछा खम्माम (यूए), सूर्यापेट, मिर्यालगुडा, नलगोंडा, कोथागुडेम (यूए) गुण्टूर वारंगल

				(यूए)
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह				
				पोर्टब्लेयर
असम				
			गुवाहटी शहर	धुबी, तेजपुर, जोरहाट (यूए) नागांव, डिब्रूगढ़ (यूए) तिनसुकिया, सिल्चर, करीमगंज
बिहार				
			रांची (यूए) **पटना (यूए)**	मोकामेह बिहार, बक्सर, आरा, देहरी, सासाराम, जहानाबाद, नवादा, गया, (यूए) छपरा, बेतिया, बगहा, मोतिहारी, (यूए), मुज्जफरपुर, सिवान हाजीपुर, बरौनी, बेगुसराय (यूए), दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया (यूए) देवधर (यूए), धनआद (यूए) गिरिडीह, पु–गो (यूए), झुमरीतलैया, हजारीबाग, रामगढ़ (यूए), सौंदा, डाल्टनगंज, चैबासा आदितयपुर, किशनगंज, बोकारो स्टील सिटी (यूए), जमशेदपुर (यूए)
चंडीगढ				
			चंडीगढ़ (यूए)	
दिल्ली				
दिल्ली (यूए)				
गोवा				
				मडगाव (यूए), मर्मगांव (यूए)

गुजरात				
	अहमदाबाद (यूए)	सूरत (यूए) वडोदरा (यूए)	राजकोट (यूए)	जामनगर (यूए), उपलेटा, गोंडल् (यूए), धोराजी (यूए), जेटपुर (यूए), मोरवी (यूए), धरंगधरा सुरेन्द्रनगर, बोटाड, महुवा, (यूए) अमरेली (यूए), वेरावल, केशोड, जूनागढ, (यूए), अंजर, पोरबंदर (यूए), दीसा (यूए), पालनपुर (यूए) हिम्मतनगर, उनिझा, सिद्धपुर (यूए), विसनगर (यूए), कलोल (यूए), महसाणा (यूए), विरमगांव, खंभाट(यूए), नाडयाड (यूए), अणंद (यूए), दोहड (यूए), गोधरा (यूए), दभोल, अंकलेश्वर (यूए), भडौच (यूए), नवसारी वलसाड़ (यूए), गांधीनगर, पाटण (यूए), मेहसाणा जिले के अधीन), पेटलाड़ भावनगर (यूए), सावरकुंडला (यूए)
हरियाणा				
			फरीदाबाद कांप्लेक्स	पंचकूला शहरी संपदा अंबाला, अंबाला (यूए), यमुनानगर (यूए), थानेसर, कैथल, करनाल (यूए), पानीपत, सोनीपत, बहादुरगढ़ (यूए), रोहतक, पलवल, गुडगाँव (यूए), रिवाडी, नारनौल, भिवानी, जींद, हांसी हिसार (यूए), सिरसा
हिमाचल प्रदेश				
				शिमला (यूए)
कर्नाटक				
	बंगलूरू (यूए)		हुबली धारवाड़	चन्नापटना, डोडाबल्लापुर, रामनाग्राम, गोकाक, निपानी,

				बेलगाम, (यूए) बेल्लारी, बिदर (यूए), बागलकोट, रबकवी बर्णहट्टी, बीजापुर बीजापुर (यूए), चिकमंगलूर, चित्रादुर्गा (यूए), दावनगिरी (यूए), मैंगलूर (यूए), रानीबेन्नूर गदम–बतीगेरी, गलुबर्गा (यूए), हसन (यूए), चिंतामणि, कोलार गोल्ड फील्ड्स कोलार मांडया, गंगावटी (यूए) रायचूर (यूए), भदरावती (यूए), शिमोगा (यूए),, तुमकुर (यूए), दांडेली, कारवार होस्पेट (यूए), हरिहर, मैसूर (यूए),
केरल				
			तिरूवनंतपुरम (यूए), कोच्चि (यूए)	कसारगोंड कान्हागढ (यूए), परूयन्नूर, वडाकरा (यूए), पोन्नानि, मंजूरी, पलक्कड (यूए), त्रिचूर, चनगनस्सेरी, कोट्टायम (यूए), अलप्पुजा (यूए), थिरूवल्ला, कोल्लम (यूए),, तालिपरम्बा, कन्नूर (यूए), कयम्कुलम, कोझिकोड (यूए),
मध्य प्रदेश				
		इंदौर (यूए) भोपाल	ग्वालियर (यूए) जबलपुर (यूए)	मुरैना, भिंड, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, (यूए), सागर (यूए), दमोह (यूए), सतना (यूए), गुना मंदसौर, नग्दा, रतलाम, (यूए), उज्जैन (यूए),, देवास, धार, खंडवा, बरहनपुर विदिशा, सीहोर (यूए), सरनी बेतूल (यूए), होशंगाबाद, इटारसी (यूए), मुरवारा (कअनी), छिंदवाड़ा (यूए), सिवनी, बालाघाट (यूए), अम्बिकापुर (यूए), शिवपुरी, धामतरी, जगदलपुर (यूए), मऊ (यूए), खरगौन, दुर्ग, रायगढ (यूए), जौरा (यूए), राजनंदगांव, नीमच (यूए),, राजहरा,

				झाड़न दल्ली, रायपुर (यूए)
महाराष्ट्र				
(बृहन) मंबई (यूए)		**पुणे (यूए) नागपुर (यूए)**	**नासिक (यूए), सोलापुर (यूए), औरंगाबांद (यूए)**	विरार, नलसोपरा, भिवांडी (यूए), पनवेल, रत्नागिरी, मनमाड़, मालेगांव, नेन्दूरबार, धुले, चालीसगांव, अमलनेर, भुसावल (यूए), जलगांव, श्रीरामपुर (यूए) अहमदनगर (यूए) सतारा, करद, सांग्ली (यूए) बाशा, पंढ्ढारपुर इच्छाल्करणजी (यूए) जल्ना, हिंगोली, परभणी पर्ली, अम्बे, जोगाय, बीड, नांदेड़ (यूए) उस्मानाबाद, उद्गिर, लातूर, बुल्दाना, मल्कापुर खामगांव अकोल, अकोला, अचलपुर, पुसड, यवतमाल (यूए) हींगनघाट, वर्धा, भंडारा, कैंप्टी (यूए), गोंउया, बल्लारपुर (यूए) चंद्रापुर, कोल्हापुर (यूए) अमरावती
मणिपुर				
				इम्फाल (यूए)
मेघालय				
				शिलांग (यूए)
मिजोरम				
				आइजोल
नागालैंड				
				कोहिमा, दीमापुर
उड़ीसा				
				बरगढ़, ब्रजराजनगर, झारसु–गुडा, संबलपुर (यूए)

				भद्रक, बालेश्वर (यूए) बालनगिरी, भवानीपटना, जेयपुर, सुनबेड़ा, ब्रहमेपुर, पुरी, कटक (यूए) भुवनेश्वर
पंजाब				
		लुधियाना	**अमृतसर जालंधर**	गुरदासपुर, पठानकोट, (यूए) बटाला (यूए), फिरोजपुर छावनी, फाजिल्का, अबोहर, खन्ना, कपूरथला, फगवाडा, (यूए), होशियारपुर, एस ए एस नगर (मोहाली), राजपुरा, नाभा, पटियाला (यूए) मलेर कोटला, संगरूर, फिरोजपुर, बरनाला, मनसा भटिंडा, फरीदकोट (यूए), कोटकपुरा, मुक्तसर, मलौत, मोगा (यूए)
पांडिचरी				
				पांडिचेरी (यूए), कराईकाल आउलगरेट, यानम (यूए)
राजस्थान				
		जयपुर (यूए)	जोधपुर, कोटा	हनुमानगढ़, गंगानगर, सरदार शहर, रतनगढ़, सुजानगढ़, बुंडी, झुनझुनु, नवलगढ़, अलवर (यूए), भरतपुर (यूए), धौलपुर, हिंडौन, गंगापुर शहर (यूए), सवाई माधोपुर (यूए), फतेहपुर सीकर, किशनगढ़, ब्यौवर (यूए), मकराना (यूए), पाली, बाड़मेर, भीलवाडा, उदयपुर, चितौड़गढ़, टोंक (यूए), बरण, बासवाडा (यूए), यूरू (यूए), बीकानेर, अजमेर
तमिलनाडु				
	चेन्नै (यूए)		कोयम्बतूर (यूए), मदुरै	चेंगलपट्टू, कांचीपुरम (यूए), अरक्कोनम, अम्बूर तिरूप्पतूर,

			(यूए) सलेम, त्रिचुरापल्ली (यूए)	गुडीयपट्टम (यूए), वंयमबाडी (यूए), अदतूर, वेल्लूर (यूए), किशनगिरी, धर्मपुरी, अरानी, तिरूवन्नामलई, तिंडीवनम, विल्लुपुरम, पंरूति, वृद्धाचलम चिदम्बर (यूए), कुड्डलर, नेवेली (यूए), तिरूचेन्गुड्डु, कुमारपलवर, इरोडट, उथागमंडलम, मेट्टुप्पलैयम, उदुमलैप्पेट्टै, तिरूप्पूर (यूए), पोल्लाची (यूए), पलनी, (यूए), डिंडीगुल, कारूर (यूए), मैयेलादुथुरै, मन्नर्गुडी, पट्टुक्कोटटै, नगप्पटिट्नम (यूए), कुमगाकोनम (यूए), थंजाव्यूर, पुडुक्कोटटै, कराईकुडी, बोडीनायक्कनूर, कमबम, तेनी अल्लीनगरम, श्रीविल्लीपुट्टूर, विरूदुनगर अरॅप्पुक्कोटटै, राजपलयम, सिवकासी (यूए), परमाक्कुर्डी, रामनाथपुरम, कोविलपट्टी, टूटीकोरिन (यूए), पुलियनगुउ, कडैयनल्लूर टेंकासी, तिरूनेल्वेली (यूए), नगेरकोइल मेट्टूर, वल्परै
त्रिपुरा				
				अगरतला
उत्तर प्रदेश				
		लखनऊ (यूए) कानपुर (यूए)	मेरठ (यूए), बरेली (यूए),, इलाहाबाद (यूए), वाराणसी (यूए), आगरा (यूए), गोरखपुर	देहरादून (यूए), काशीपुर, रूद्रपुर, हल्दवानी–सह–काठगोदाम, नजीबाबाद, नगीना, चांदपुर, बिजनौर (यूए), चंदौसी संभल नोएडा, अमरोहा, रामपुर देवबंद सहरानपुर रूड़की (यूए), हरिद्वार (यूए), शामली, कैराना, मुज्जफरनगर (यूए), बड़ौत,

				मवाना, पिल्खुआ, हापुड़, मोदीनगर (यू ए), खूर्जा, सिकंदराबाइ, बुलंदशहर, हाथरस, मथुरा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद (यू ए),कासगंज, एटा, मैनपुरी, सासवन, बदायूं, पीलीभीत, उन्नाव, शाहजहांपुर (यू ए),लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, शाहाबाद, गंगाघाट, (जिला उन्नाव), रायबरेली, कन्नौज, उरई, फारूखाबाद–सह–फतेहगढ़ (यू ए), औरैया, इटावा, झांसी (यू ए),ललितपुर, महोबा, बंदा फतेहपुर, बेला, प्रतापगढ़ बेहराइच, बलरामपुर, गोंडा, नवाबगंज, टांडा, फैजाबाद (यू ए),सुलतानपुर, बस्ती, देवरिया, मउनाथ, भंजन, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, भदोई, मुगलसराय, (यू ए), मिर्जापुर–सह–विंध्याचल, मुरादाबाद (यू ए), गाजियाबाद (यू ए), अलीगढ़
पश्चिम बंगााल				
	कोलकाता (यू ए)			रायगंज (यू ए), जलपाईगुड़ी, अलीपुरदौर (यू ए), दार्जलिंग सिलीगुड़ी, वलूरघाट (यू ए), हावड़ा (यू ए), इंग्लिश बाजार (यूए), जंगीपुर, ब्रहमपुर (यू ए), चकदोहा, कृष्णानगर, नबाद्वीप (यू ए), सांतीपुर, राणाघाट (यू ए), बनगांव, बसीरहटा, रायपुर (यू ए), कोन्टाई, मेदिनीपुर, हलदिया, खड़गपुर (यू ए),विस्णुपुर, बंकुरा, पुरूलिया, कटवा, आसनसोल (यू ए), रानीगंज (यू ए),वर्धमान, सूरी,

				भोलपुर, कूचबिहार (यू ए), चितरंजन, देवग्राम, दुर्गापुर

अनुबंध–II

वित मंत्रालय, व्यय विभाग के 3 अक्टूबर, 1997 का कार्यालय ज्ञापन सं. 2(1)/97–स्था. II(बी) की प्रतिलिपि

विषयः केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को परिवहन भत्ते की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पांचवे वेतन आयोग ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का परिवहन भत्ता देने की सिफारिश की है उनकी रिपोर्ट के खंड–III का पैरा 107.11 से 107.13 देखें ताकि निवास स्थान और कार्य स्थान के बीच की दूरी के कारण खर्च हुई राशि की ठीक से प्रतिपूर्ति की जा सके।

2. मामले पर विचार करने के बाद सरकार ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया है और जैसाकि इस मंत्रालय के तारीख 30.9.1997 की संकल्प सं. 50(1) आई सी/97 में घोषणा की गई है कि तद्नुसार राष्ट्रपति ने सहर्ष यह निर्णय दिया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारी निम्नलिखित दरों पर परिवहन भत्ते के हकदार होंगेः

कर्मचारी का वेतनमान	**मासिक परिवहन भत्ते की दर (रूपये में)**	
	"ए–1"/"ए" श्रेणी नगर	अन्य स्थान
1. रूपये 8000–13500 या इससे अधिक के वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	800	400
2. रूपये 6500–6900 या इससे अधिक परन्तु 8000 से 13500 रूपये के वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	400	200
3. रूपये 6500–6900 के वेतनमान से कम वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	100	75

3. इन आदेशों के अधीन परिवहन भत्ता निम्नलिखित शर्तों के अनुसार विनियमित होगाः

(i) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नगर प्रतिकर भत्ते की मंजूरी को विनियमित करने वाले अलग से जारी आदेशों के लिए ए और ए1 के रूप में निर्दिष्ट नगर वही होंगे जैसे कि प्रतिकर (नगर) भत्ता (सीसीए) के लिए है।

(ii) यह भत्ता ऐसे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें सरकार की ओर से ऐसा आवास मिला है जिसमें कार्य–स्थल और निवास स्थान के बीच की दूरी एक किलोमीटर है अथवा दोनों कैंपस के भीतर ही है।

नोट – इन आदेशों के अधीन भत्ते की मंजूरी हेतु एक प्रमाणपत्र कर्मचारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें वह यह बताएगा कि सम्बद्ध कर्मचारी को प्राप्त सरकारी आवास से कार्य–स्थल की दूरी एक किलोमीटर से अधिक है अथवा कार्य स्थल और निवास स्थान दोनों कैंपस के भीतर नहीं है।

(iii) ऐसे कर्मचारियों को भत्ता नहीं मिलेगा जिन्हें सरकारी परिवहन सुविधा मिली हुई है।

(iv) ऐसे कर्मचारियों के लिए जो संशोधन पूर्व वेतनमान में ही वेतन लेने का विकल्प देते हैं परिवहन भत्ता उस संशोधन वेतनमान के अनुसार विनियमित होगा जिसके लिए ऐसे कर्मचारी यदि वे संशोधित वेतनमान का चयन करते तो, हकदार होते।

(v) संयुक्त सचिव और उससे उच्च पद के ऐसे अधिकारियों को जिन्हें इस कार्यालय के तारीख 28.1.94 के कार्यालय ज्ञापन सं. 20(5) स्था.2(ए)/93 के अनुसार निर्धारित भुगतान के आधार पर कार्यालय और आवास की दूरी के कारण स्टाफ कार की सुविधा मिली हुई है उनके पास यह विकल्प होगा कि वह वर्तमान सुविधा का लाभ उठायें अथवा इन आदेशों के अनुसार यथा स्वीकार्य परिवहन भत्ते का भुगतान प्राप्त करें। यदि वह इसमें से बाद वाले का चयन करते हैं तो उन पर लागू होने वाली दरों के आधार पर उन्हें भत्ता दिया जायेगा बशर्ते कि वह भत्ते के चयन की तिथि से स्टाफ कार की वर्तमान सुविधा छोड़ दें। यदि वह इसमें से पहले वाले को चुनते हैं तो उन्हें भत्ता नहीं मिलेगा और उन्हें आवास और कार्यालय के बीच स्टाफ कार की सुविधा हेतु कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा।

(vi) इस मंत्रालय के तारीख 31.8.1978 के कार्यालय ज्ञापन सं. 19029/1/78 स्था.IV(बी) देखें आदेशों के अनुसार समय समय पर यथा संशोधित परिवहन भत्ता ऐसे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर स्वीकार्य है जो नेत्रहीन या विकलांग हैं और जिनका खर्चा नियमित स्थापना उठाती है (कार्य प्रभारित स्टाफ सहित) इन आदेशों पर लागू होने के परिणामस्वरूप ऐसा परिवहन भत्ता समाप्त हो जाऐगा तथा इसके स्थान पर ऐसे सभी कर्मचारियों को इन आदेशों के अनुसार निर्धारित सामान्य दरों का दुगुना परिवहन भत्ता दिया जायेगा तथापि यदि ऐसा विकलांग कर्मचारी जिसे कार्य स्थल से एक किलोमीटर की दूरी के भीतर ही है तो उसे इन आदेशों के अनुसार भत्ता यथा लागू सामान्य दरों पर मिलेगा। यदि ऐसे कर्मचारियों को सरकारी परिवहन की सुविधा मिली हुई है तो उन्हें यह भत्ता नहीं मिलेगा।

(vii) यह भत्ता छुटट्ी प्रशिक्षण दौरे आदि के कारण डयूटी से 30 दिनों से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने पर नहीं मिलेगा।

2. ये आदेश 1.8.97 से लागू होंगे।

3. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जायेंगे।

4. ये आदेश रक्षा सेवा प्राक्कलन से वेतन पाने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे तथा व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलन से सम्बद्व शीर्ष में प्रभार्य होगा। सशस्त्र सेना कार्मिक और रेलवे के कर्मचारियों के लिए क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग आदेश जारी किये जाऐंगे।

***

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तारीख 7 अक्टूबर 1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14028/7/97–स्था. (1) की प्रति।

विषयः पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अर्जित छुटट्ी के संचयन पर उच्चतम सीमा में वृद्वि और छुटट्ी के बदले नकद भुगतान संबंधी निर्णय।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की छुटटी संबंधी सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों के परिणामरूवरूप माननीय राष्ट्रपति सहर्ष यह निर्णय लेते हैं कि केन्द्र सरकार के असैनिक कर्मचारियों के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (छुटट्ी) नियमावली 1972 के मौजूदा उपबंधों में निम्नलिखित आशोधन किये जायें।

(क) नियम 26 और 28 में की गई व्यवस्था के अनुसार मौजूदा 240 दिनों की अर्जित छुटट्ी संचयन की उच्चतम राशि बढ़ाकर 300 दिनों तक की जाए।

(ख) अप्रयुक्त अर्जित छुटट्ी के बदले नकद भुगतान का लाभ उठाने के लिए 240 दिनों की वर्तमान उच्चतम सीमा निम्नलिखित श्रेणियों के लिए 300 दिनों तक बढ़ाई जाएगीः–

(i) अधिवर्षिता की आयु होने पर सेवा निवृत्ति [नियम 39(2)];

(ii) ऐसे मामले जहां अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति की तिथि के बाद सरकारी कर्मचारी की सेवा लोक सेवा के हित में बढाई गई है। (नियम 39(4):

(iii) स्वैच्छिक समय–पूर्व सेवा निवृत्ति (नियम 39(5);

(iv) जहां सरकारी कर्मचारी की सेवा, नोटिस द्वारा या नोटिस के स्थान पर वेतन और भत्ते के भुगतान द्वारा या उसकी नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार किसी अन्य प्रकार द्वारा समाप्त की गई हो [नियम 39(6)(क)(1)];

(v) सेवा–निवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन की समाप्ति की स्थिति में [नियम 39(6)(क)(iii)];

(vi) सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुये मृत्यु होने पर दिवंगत के परिवार के लिए (नियम 39 (क)

(vii) (सेवा–निवृत्ति पूर्व छुटट्ी की स्थिति में [नियम 38 की उपधारा (1)];

(viii) सरकारी कर्मचारी की औद्योगिक स्थापना में स्थानांतरण की स्थिति में [नियम 6] और

(ix) सरकारी कर्मचारी के केन्द्र/राज्य सरकार के पूर्णतः या अर्थ स्वामित्व या नियंत्रण में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में आमेलित होने पर (नियम 39–घ)

(ग) जो सरकारी कर्मचारी त्यागपत्र देता है या सेवा छोड़ देता है वह अर्जित छुटट्ी के लिए उतनी नकद प्राप्ति का हकदार होगा जितनी छुटिट्यां उसकी सेवा की समाप्ति के दिन उसके खाते में शेष थी तथा वह अधिक से अधिक ऐसी कुछ छुटट्ी के आधे का ही हकदार होगा, जिसकी सीमा अधिकतम 150 दिन है [नियम 39(6)(क)(ii)]।

2. उपर्युक्त आदेश 1 जुलाई 1997 से लागू होंगे।

3. पांचवे वेतन आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि सभी कर्मचारियों को छुटट्ी यात्रा रियायत लेते समय 10 दिनों की अर्जित छुटट्ी के बदले नकद भुगतान पाने की मंजूरी दी जायेगी लेकिन शर्त यह है किः–

(क) इस प्रकार अपने पूरे सेवाकाल में भुनाई गई कुल छुटट्ी औसतन 60 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(ख) कर्मचारी उसी समय में कम से कम समान अवधि की अर्जित छुटट्ी ले सकता हैः

(ग) छुटट्ी भुनाने की अवधि के साथ–साथ छुटट्ी को ध्यान में रखने के पश्चात् कर्मचारी के पास कम से कम 30 दिनों की अर्जित छुटट्ी शेष होनी चाहिये; और

(घ) भुनाई गई छुटट्ी की अवधि छुटट्ी की प्रमात्रा से घटा दी जायेगी जोकि सामान्यतः अधिवर्षिता के समय उसके द्वारा भुनाई जाएगी।

ये सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकृत हैं और तदनुसार मंत्रालयों/विभागों द्वारा अर्जित छुटट्ी को भुनाना मान्य है बशर्ते वे निर्धारित शर्तो के अनुसार हों। केन्द्रीय सिविल सेवा (छुटट्ी) नियमावली, 1972 के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी को अपने सेवाकाल के समय छुटट्ी यात्रा रियायत (एल टी सी) सहित अर्जित छुटट्ी के बदले में प्राप्त होने वाला कुल अनुमेय भुगतान यथास्थिति 300 दिन या 150 दिन की अधिकतम सीमा/उच्चतम सीमा से अधिक नहीं होना चाहिये।

4. उपर्युक्त पैरा 3 में दिए गये आदेश जारी होने की तिथि से लागू होंगे।

5. उपर्युक्त पैरा 1 से 4 में दिये गए आदेश सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जो अवकाश (वैकेशन) विभागों में कार्यरत हैं।

6. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुटट्ी) नियमावली 1972 के औपचारिक संशोधन अलग से जारी होंगे।

7. जंहा तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का प्रश्न है उनके लिए ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाऐंगे।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण के तारीख 20 अक्टूबर 1997 की अधिसूचना सं. 31011/7/97/स्था.(ए) की प्रति।

जी एस आर 602(ड़):– संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद–148 की धारा (5) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थातः

(1) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवा (छुटट्ी यात्रा रियायत) प्रथम संशोधन नियमावली 1997 कहा जाएगा।

(2) ये नियम 1 अक्टूबर 1997 से लागू होंगे।

(3) नियम 4 के (घ) में निम्नलिखित को "परिवार" की परिभाषा के रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा।

"(घ)" **'परिवार'** का अर्थ है एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी या उसका पति जैसी स्थिति में हों और साथ ही रह रहे दो जीवित बच्चे या सौतेले बच्चे जो उस सरकारी कर्मचारी पर पूरी तरह से आश्रित हों तथा जिस सरकारी कर्मचारी की सभी श्रोंतों से प्राप्त मासिक आय 1500/– रू. से अधिक नहीं है। इसके अतिरिक्त माता–पिता सौतेली माता, अविवाहित बहनें, भाई और साथ रह रही विवादित बेटियां जो तलाकशुदा परित्यक्त या अपने पति से अलग हैं और वह सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हैं को भी शामिल माना जाएगा। साथ में ही रह रही और सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित विधवा बहनें भी इसमें शामिल हैं (बशर्ते कि उनका पिता या तो जीवित नहीं है और या वह भी सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हों)

नोटः1 उपर्युक्त बताए गये दो जीवित बच्चे का प्रतिबंध सरकारी कर्मचारी के मौजूदा बच्चों, और प्रतिबंध के लागू होने के एक वर्ष के भीतर पैदा हुये एक बच्चे पर और एक बच्चे के बाद एक समय में एक से अधिक बच्चे पैदा होने की स्थिति में लागू नहीं होगा।

नोट–2 इन नियमों में परिवार शब्द में एक से अधिक पत्नी शामिल नहीं हैं।

(4) मौजूदा उप–नियम 1 के लिए नियम 12 में निम्नलिखित को प्रति स्थापित किया जाएगाः–

"(क) छुटट्ी यात्रा रियायत योजना के तहत यात्रा की हकदारी निम्न रूप में होगीः–

इस वेतन के अधिकारी जिनका न्यूनतम वेतन निम्न है	हकदारिता
18400/– रू. और उससे अधिक	नेशनल कैरियर द्वारा एयर इकनॉमी (वाई) श्रेणी या रेल द्वारा ए.सी.–I श्रेणी उनके विकल्पनुसार
12,000/– रू. और उससे अधिक परन्तु 18,400/. रू से कम	रेल द्वारा ए.सी.– I श्रेणी द्वारा
6500/– रू. और उससे अधिक परंतु 12000/. रू से कम	ए.सी.–II टियर स्लीपर
3050/– रू. और उससे अधिक परंतु 6500/. रू से कम	प्रथम श्रेणी/ए.सी.–III टियर
3050/– रू. से कम	स्लीपर क्लास

अनुबंध–V

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंषन मंत्रालय, कार्मिक और प्रषिक्षण विभाग के तारीख 7 अक्टूबर 1997 के कार्यालय ज्ञापन की प्रति।

विषयः केंन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रसूति छुटट्ी की मात्रा में वृद्वि तथा पितृत्व छुटट्ी की अनुमति हेतु पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रसूति छुटट्ी और पितृत्व के संबंध में पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति सहर्ष निर्णय लेते हैं कि केन्द्र सरकार के असैनिक कर्मचारियों के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (छुटट्ी) नियमावली 1972 के मौजूदा उपबंध को यथा आशोधित और निम्न रूप से माना जाएगा।

(क) नियम 43 (1) से 90 दिनों की प्रसूति छुट्टी की मौजूदा प्रावधान की उच्चतम सीमा को 135 दिनों तक बढ़ाया जाए।

(ख) पुरूष सरकारी कर्मचारी (प्रशिक्षु सहित) जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं को अपनी पत्नी की प्रसूति के दौरान 15 दिनों की अवधि के लिए पितृत्व छुटट्ी की मंजूरी दी जाए। ऐसी छुटट्ी के दौरान उसे छुटट्ी पर जाने से ठीक पहले आहरित किए जा रहे वेतन के बराबर छुटट्ी वेतन दिया जाएगा। पितृत्व छुटट्ी का छुटट्ी खाते में डेबिट नहीं किया जायेगा तथा इसे किसी अन्य प्रकार की छुटट्ी (जैसे कि प्रसूति छुटट्ी की स्थिति में) के साथ जोड़ा जा सकता है। सामान्यतः किसी भी परिस्थिति में इसके लिए इंकार नहीं किया जाए।

2. ये आदेश जारी होने की तिथि से लागू होंगे।

3. उपर्युक्त पैरा 2 को ध्यान में रखते हुये ऐसी कर्मचारी जिसकी 90 दिनों की प्रसूति छुटट्ी की अवधि उक्त तिथि तक समाप्ति नहीं हुई है वह भी 135 दिनों की प्रसूति छुटट्ी लेने की हकदार होंगी। इसी प्रकार पुरूष सरकारी कर्मचारी की ऐसी स्थिति में पितृत्व छुटट्ी की अनुमति दी जाए जिसमें उसकी पत्नी ने उस तिथि को बच्चे को जन्म दिया है जो इस आदेश के जारी होने की तिथि से 135 दिनों से पहले नहीं है।

4. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुटट्ी) नियमावली 1972 के लिए औपचारिक, संशोधन अलग से जारी किये जा रहे हैं।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, यह आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किये जाएंगे।

(तारीख 4 मार्च 1998 का लो.उ.वि. का.ज्ञा. सं. 2(42)/97 लो.उ.वि. (डब्ल्यू सी)